

सेल हैं, माइनारिटी सेल हैं और जोनल लेवल तक है, उनके लिए हमारी कोशिश हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ जाएं, सभी का इन्वेस्टीगेशन हो जाए इसकी कोशिश हो रही है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी अभी यह रिपोर्ट है हम लोगों के पास—जो उन्होंने कुछ बतलाया वड़हिया का तो दूसरा मामला है, हरिजन और कमजोर वर्ग से उसका संबंध नहीं है। जहां तक वड़हिया का मामला है वहां जुडिगल इन्क्वायरी बैठ गई है और हम उसके संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकते।

श्री योगन्द्र शर्मा : मान्यवर, मंत्री महोदय ने इस बात का जवाब नहीं दिया जैसा कि भोला प्रसाद जी ने पूछा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो इस संबंध में कदम उठाए हैं क्या उसी तरह का आदेश आप बिहार सरकार या दूसरी सरकारों को भी देंगे? ताकि शांति और व्यवस्था के साथ जिसका जो अधिकार है वह अधिकार प्राप्त हो?

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने जवाब दे दिया मान्यवर, कि प्रधान मंत्री जी ने . . .

श्री योगन्द्र शर्मा : उन्होंने कहा है?

श्री धनिक लाल मंडल : प्रधान मंत्री ने कहा है। पश्चिमी बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, जिस सरकार ने भी जो भी जवाब दिया है उसको हम ने सभी को भेज दिया है कि जो उचित समझिए उसका अनुसरण कीजिए।

STATEMENTS BY MINISTER

I. Reduction of Basic Excise Duty on Sugar

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इस समय सदन के अधिकांश सदस्य उपस्थित नहीं हैं। इसको बाद में ले लिया जाए तो अच्छा हो।

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धू (उत्तर प्रदेश) : सदन की कार्यवाही को चलने दें।

श्री उपसभापति : यह कल के दिन भी नहीं आ सकता है।

SHRI SATISH AGGARWAL: Sir, the question of evolving a suitable sugar policy has been under consideration of the Government of India for some time. The cane growers have to be given a reasonable price and hence it is proposed to retain the minimum cane price paid to the growers at the existing level. It is also proposed to retain the retail price in the public distribution system at the present level of Rs. 2.15 per Kg. However, it is necessary to ensure a fair price to the producers as well in the interests of the industry as a whole. This makes it necessary therefore, to reduce the duty leviable on sugar suitably. Government have accordingly decided to reduce the basic excise duty on free sale sugar from 37½ per cent to 20 per cent *ad valorem*, and on levy sugar from 10 per cent *ad valorem* to 7½ per cent *ad valorem*. There is no change in the additional excise duty either on free sale sugar or on levy sugar of 7½ per cent and 5 per cent *ad valorem* respectively.

I am also laying copies of Notifications Nos. 317/C.E. and 318/C.E. both dated 16th November, 1977 giving effect to the above changes, on the Table of the House.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

16th November, 1977
New Delhi, the
25, Kartika, 1899 (S)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8

[Shri Satish Aggarwal]

of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 251/76-Central Excises, dated the 14th September, 1976, 254/76-Central Excises, dated the 21st September, 1976 and No. 279/76-Central Excises, dated the 22nd November, 1976, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette, being sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and additional duty calculated at seven and-a-half per cent and five per cent respectively, on the basis of price determined by the Central Government, from time to time, under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof.

Explanation—For the purposes of this notification, the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1978.

B. PROSAD,
Under Secretary to the
Government of India.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

16th November, 1977
New Delhi, the
25 Kartika, 1899 (Saka)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) cleared on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette, being sugar to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 317/17-Central Excises, dated the 16th November, 1977, does not apply, from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of duty calculated at twenty per cent *ad valorem*.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of September 1978.

B. PROSAD,
Under Secretary to the
Government of India,

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, इस पर वहस होनी चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय के बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया है उसका फायदा कन्स्यूमर को होगा या मिल मालिकों को होगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : गवर्नमेंट को यह निर्णय लेने में दो मुख्य मुद्दे रहे हैं कि . .

श्री योगेन्द्र शर्मा : मेरा सवाल साफ है । आपने एक्साइज ड्यूटी जो कम की है क्या उसका फायदा मिल मालिकों को होगा या कन्ज्यूमर को वह फायदा मिलेगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : कन्ज्यूमर्स को होगा...

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या इतने ही परसेंट कंट्रोल प्राइस कम हो जाएगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : प्राइसेज घटेंगी । जितना फ्री सेल शुगर अभी तक बाजार में रिलीज किया है वह 28 लाख टन है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हम उसको लेवी शुगर को 28 लाख टन से बढ़ा कर 34 लाख टन कर रहे हैं । तो मैं चाहता था कि सभी सदस्य होते तो उस पर चर्चा होती । साढ़े चार सौ ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से सभी लोगों को चीनी मिल सके और गांवों में भी चीनी मिल सके इसलिए निर्णय लिया गया है कि हर व्यक्ति को साढ़े चार सौ ग्राम चीनी मिल सके, इसलिए लेवी शुगर प्रति वर्ष जो 28 लाख टन दी जाती है उसको बढ़ाकर 34 लाख टन किया जा रहा है । फ्री सेल शुगर जो 12 लाख टन है उसको बढ़ाकर 16 लाख टन किया जा रहा है । 40 लाख टन जो लेवी शुगर और लेवी फ्री शुगर है वह बढ़ाकर 50 लाख टन की जाएगी ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, प्रश्न है कन्ज्यूमर्स का । इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पर बहस का अवसर दें ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० मदनमोहन सिंह सिद्धू : ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं ; आपकी किस तरह से कौन सी प्रणाली होगी जिससे कि हर एक व्यक्ति को साढ़े चार सौ ग्राम चीनी मिल सके जब कि उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं । क्या गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था

कराएगी स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको भी चीनी मिल सके ?

श्री सतीश अग्रवाल : उपसभापति महोदय, इस समय केवल इतना बता दूं कि यह जो निर्णय लिया है कैबिनेट ने उसके मुख्य मुख्य फैक्टर्स ये हैं और उनका यह असर होने वाला है—

The dual pricing policy should be continued. Levy sugar should be distributed to the States on the basis of population, and in those States where the per capita allotment was below 450 grammes per month, the effort should be to increase the allocation to that level. The States should also be advised to treat the rural and urban population in the same manner for the purposes of distribution of levy sugar. The statutory minimum cane price for 1977-78 should be Rs. 8.50 per quintal linked with a recovery of at least 8.5 per cent. The State Governments should be asked to ensure that the factories pay the same price as was paid during the last season. The present ration of 65:35 between levy sugar and levy free sugar should be continued. The retailed consumer price for levy sugar should be retained at Rs. 2.15 per kg.

तो यह जो फ्री मार्केट में शुगर मिलती है उसकी प्राइस 4.10 रु० से अधिक नहीं जाएगी । इस दृष्टि से उसको नीचे रखा जाएगा । एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जाएगी । उस के लिए जो कंट्रोल आर्डर है वह स्टेट गवर्नमेंट्स निकालेंगी, राशन की व्यवस्था वह करते हैं । स्टेट गवर्नमेंट्स को यह लिखा जा रहा है । इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फूड एण्ड अग्रिकल्चर है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो मैंने जानकारी दी है । मोटे तौर से इसके दो उद्देश्य हैं । एक तो लेवी शुगर जो कन्ज्यूमर को मिलती है वह 2.15 रु० में मिलती रहे जिसके लिये 28 लाख टन से जो हम अभी तक रिलीज कर रहे थे

[श्री सतीश अग्रवाल]

बढ़ाकर 34 लाख टन किया जाएगा और फ्री मेल शुगर 12 लाख टन के बजाय 16 लाख टन की जाएगी। दोनों माध्यमों से 40 लाख टन से 50 लाख टन खपत के लिए चीनी दी जाएगी।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, दूसरी चीनी पर ऐक्साइज कम किया जा रहा है। इस पर श्रीमन् बहस होनी चाहिए.

(Interruptions)

श्री सतीश अग्रवाल : यह जो आपका इनफरेंस है वह गलत है। मेरे पास समय का अभाव है, अन्यथा मैं आपको सन्तुष्ट कर देता। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ऐक्स फैक्टरी प्राइस में इनक्रीज की जाएगी और उसके परिणाम-स्वरूप जो इस समय ऐक्साइज ड्यूटी हमें मिल रही है उसमें बढ़ोत्तरी होगी। टोटल मिलाकर केन ग्रेवर को और कंज्यूमर्स को गारन्टेड प्राइस पर मैक्सिमम से नीचे मिल जाएगी। इसलिए ऐक्साइज ड्यूटी में उसके हिसाब से ऐडजस्टमेंट किया गया है। यह बात सही है कि लाभ जो इंडस्ट्री है, जो प्रोड्यूसर है उसको भी मिलने वाला है। लेकिन यह अनुमान लगाना कि सारा लाभ उनको मिलने वाला है, यह नितान्त भ्रामक है और मैं समझता हूँ कि समझ के परे है। आप पूछना चाहें तो सारे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूँ। आप बाद में डिस्कशन क्लेम कर लीजिए। वह अध्यक्ष महोदय जानें।

2 P.M.

II. Payment of an Additional Instalment of Dearness Allowance to Central Government Employees

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGGARWAL): Sir, it will be recollected that the Third Pay Commission had recommended to the Government a formula of DA according to which increases at specific percent-

age rates would be given for every 8-point increase beyond 200 points in the 12-monthly average of the All-India Consumer Price Index for industrial workers (1960=100). Nine instalments of Dearness Allowance were sanctioned according to this formula from time to time till the average index had reached 272 points. The Third Pay Commission had further recommended that when the average index crossed 272 points, the Government should review the position and decide whether the DA scheme should be extended further or whether the pay scales themselves should be revised. After the average index figure crossed 272 points, the Government allowed on an *ad hoc* basis suitable increases in Dearness Allowance to mitigate the hardships caused to the employees. The total number of instalments of Dearness Allowance allowed by the Government after the average level crossed 272 points was 5 (five). At the end of April 1976, when the average index dropped below 312 points, the Government withdrew this fifth instalment, and the current DA is being paid on the basis of an average index figure of 304 points. In view of the fact that the average index figure has now clearly crossed 312 points, the Government feels that it is necessary to mitigate the hardships caused to the employees and has, therefore, agreed to concede an instalment of additional Dearness Allowance.

The Government has decided to sanction an additional instalment of Dearness Allowance to the Central Government employees with effect from the 1st of September 1977. The Government has taken this decision in the light of the fact that the 12-monthly index average at the end of August 1977 has crossed 312 points. The existing rates of Dearness Allowance are based on an index average of 304. Hence the Government has recognised the need for the payment of an additional instalment in view of the rise in the 12-monthly index average.